Gems-2021/174

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
75/2021	मूलाराम / घीसाराम	
14.12.2021	निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/एल.आर./224/2020/सीकर/6413 दिनांक 02.08.2021 के साथ उनवानी प्रकरण घीसाराम बनाम मूलाराम प्रकरण संख्या 224/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2021 की प्रमाणित प्रति के साथ न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली प्रेषित किये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 13.07.2021 पारित कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 को अपास्त कर प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमांड किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 घासीराम की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक एड0 ने वकालतनामा पेश किया। शा0फा0 रहे। अपीलांट् ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने हेतु पेश कर उनवानी प्रकरण में उभयपक्षो के मध्य राजीनामा हो जाने एवं अपीलांट् अपील को चलाना नही चाहने के कारण अपील को विड्रा कर खारीज करने हेतु निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा करने पर सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नही है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। अतः पत्रावाली के अवलोकन एंव बहस वकील उभयपक्ष के आधार पर अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील विड्रां किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदानुसार अपील अपीलांट् निस्तारित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। आदेश सुनाया गया। 14/12/2021. (बाबूलाल गोयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	For अपीलार्ट Harlal 21/12/21 दौलतराम पुत्र श्री मूलाराम

Scanned by CamScanner